

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर)

आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक:-449/परि0,दिनांक:-07.05.2019 के द्वारा" मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना " हेतु अधोलिखित राशि को जिला सुरक्षित रखा गया था ।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष 3055 सडक परिवहन -उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -199- अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता - उप शीर्ष -0101- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ,विपत्र कोड-47-3055001990101 विषय शीर्ष -0101.33.01. सब्सिडी	मुख्य शीर्ष 3055 सडक परिवहन -उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना - उप शीर्ष -0101- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ,विपत्र कोड-47-3055007890101 विषय शीर्ष -0101.33.01. सब्सिडी	मुख्य शीर्ष 3055 सडक परिवहन -उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना - उप शीर्ष -0101- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ,विपत्र कोड-47-3055007960101 विषय शीर्ष -0101.33.01. सब्सिडी	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	परिवहन कार्यालय (सुरक्षित)	28,00,000.00	42,00,000.00	7,00,000.00	77,00,000.00
	कुल योग :-	28,00,000.00	42,00,000.00	7,00,000.00	77,00,000.00

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर के पत्रांक:-321 दिनांक:-01.07.2019 के द्वारा मुख्य शीर्ष 3055 सडक परिवहन -उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना - उप शीर्ष -0101- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ,विपत्र कोड-47-3055007960101 विषय शीर्ष -0101.33.01.सब्सिडी में कुल 4,00,000 (चार लाख) रूपये की मांग की गई है । मांग पत्र के आलोक में सुरक्षित राशि से मुख्य शीर्ष 3055 सडक परिवहन -उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना - उप शीर्ष -0101- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ,विपत्र कोड-47-3055007960101 विषय शीर्ष -0101.33.01.सब्सिडी में कुल 4,00,000 (चार लाख) रूपये को उपावंटित किया जाता है :-

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय ।

उपावंटित राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश संख्या-156 दिनांक 10.04.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय ।


उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पडताल के बाद ही किया जाय ,यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पुरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

उपावंटित राशि की निकासी लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-823 दिनांक-05.09.2018 के आलोक में पूरी छान-बीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायेगा । साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा की कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान नहीं हों । अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेगे । यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण भुगतान में किया जायेगा ।

उपावंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी । कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें । ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।


उपावंटित राशि की निकासी निर्वाचन विभाग, बिहार के पत्रांक-एम0-1-06/2019(खण्ड)-2755, दिनांक 05.04.2019 के आलोक में लोक सभा आम निर्वाचन, 2019- आर्दश आचार संहिता लागू रहने के दौरान केवल उन लाभुको को अनुदान का भुगतान किया जायेगा जिन्हे आर्दश आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही चिन्हित कर लिया गया था।



जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...740...../परि0, दिनांक...04/04/2019

- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मुंगेर/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर एवं आई0टी0 मैनेजर मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस उपावंटन आदेश को मुंगेर के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
- प्रतिलिपि :- श्री जग नारायण राय, उ0व0लिपिक, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि आवांटित राशि को संबंधित पदाधिकारी को cfms के माध्यम से राशि हस्तांतरित करने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार पटना को उनके सं0स0-03/प्र0-बजट आंवटन (3055)-02-12/2019 ज्ञापांक:-30/दिनांक:-11.04.2019 के क्रम/में सूचनार्थ प्रेषित।


03/04
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।